Result Mitra Daily Magazine

कैबिनेट समिति

➢ हालिया संदर्भ :

- हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) ने रक्षा संबंधी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- CCS ने भारतीय वायु सेना SU-30 MKI विमान के लिये 26000 करोड रूपये की लागत से 240 एयरो-इंजन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

➢ CCS की मुख्य बातें :

- CCS में वित्त, रक्षा एवं गृह मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री शामिल होते हैं तथा इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
- यह समिति राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित निकायों में नियुक्तियों के लिये जिम्मेदार है।
- इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों, भारत के रक्षा व्यय आदि के संबंध में प्रमुख निर्णय CCS द्वारा लिये जाते हैं।
- यह समिति कानून-व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों, विदेशी मामलों से संबंधित नीतिगत मामलों एवं परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों पर भी विचार-विमर्श करती है।

Result Mitra

➢ मंत्रिमंडलीय समितियाँ :

- ये संविधानेत्तर यानि गैर-संवैधानिक निकाय है अर्थात इसकी चर्चा संविधान में नहीं है।
- इन समितियों के गठन संबंधी प्रावधान संसद के कार्य-निकायों में है।
- संसदीय समितियों की भांति ही मंत्रिमंडलीय समितियाँ (CC) स्थायी एवं तदर्थ दो प्रकार की होती है।
- तदर्थ CC की गठन किसी विशेष समस्या को सुलझाने के लिये किया जाता है एवं प्रयोजन पूर्ण होते ही उसे समाप्त कर दिया जाता है।
- नवनियुक्त सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परिस्थितिवश विभिन्न CC का गठन करते हैं अतः CC की संख्या भिन्न-भिन्न होती है।
- CC में सदस्य के रूप में सामान्यतः केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं लेकिन विशिष्ट आमंत्रित व्यक्ति एवं गैर-मंत्री भी इसके सदस्य हो सकते हैं।

Result

- प्रत्येक CC में 3-8 कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं तथा एक मंत्री एक से अधिक CC का सदस्य हो सकते हैं।
- जिस समिति (CC) में प्रधानमंत्री सदस्य के रूप में शामिल होते हैं, उस CC की अध्यक्षता अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री ही करते हैं, लेकिन जिन CC में PM नहीं होते हैं, उनकी अध्यक्षता गृह मंत्री या वित्त मंत्री करते हैं।
- संसदीय मामलों पर CC एवं आवास पर की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाता है।
- विभिन्न न सिर्फ मुद्दों का दल निकालती है, बल्कि निर्णय भी लेती है, लेकिन ऐसे निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार कैबिनेट को प्राप्त होता है।

➢ Important Facts :

- 1994 में सर्वाधिक 13 CC कार्यरत थी।
- मनमोहन सिंह सरकार में 12 CC कार्यरत थी।
- वर्तमान में सिर्फ 8 CC कार्यरत है।
- निवेश एवं रोजगार पर बनाई गई CC मोदी सरकार द्वारा सर्वप्रथम 2019 में गठित की गई थी।

➢ वर्तमान CC :

1. नियुक्ति संबंधी CC
2. आर्थिक मामलों पर CC
3. निवेश एवं विकास पर CC
4. सुरक्षा पर CC
5. आवास पर CC
6. रोजगार एवं कौशल विकास पर CC
7. राजनीतिक मामलों पर CC
8. संसदीय मामलों की CC

Result Mitra

➢ Rule of Business (कार्य-नियम) :

- कार्यपालिका भारत सरकार के कार्य-नियम 1961 के तहत कार्य करती है।
- ये कार्य-निकाय संविधान के अनुच्छेद-77(3) से आए हैं, जिसमें वर्णित है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक लेन-देन एवं मंत्रियों के बीच ऐसे कार्यों के आवंटन के लिये नियम-निर्धारित करेंगे।
- ये कार्य-नियम किसी विभाग के प्रभारी मंत्री (कैबिनेट मंत्री) को आवंटित सभी कार्यों के निपटारा करने के लिये प्राधिकृत करते हैं।
- जब कोई मामला एक से ज्यादा विभागों से संबंधित होता है तो इस पर तब तक निर्णय नहीं लिया जाता है, जब तक सभी विभागों ने सहमति न दे दी हो।

➢ प्रमुख समिति एवं कार्य :

1. नियुक्ति संबंधी CC :-

- यह CC केन्द्र सरकार के अधीन विभिन्न प्रमुख निकायों के प्रमुख पदों पर नियुक्ति के लिये निर्णयात्मक फैसले में भूमिका निभाती है, जिसमें शामिल है-
- तीनों सेनाओं (जल, थल एवं वायु) के प्रमुख,
- विभिन्न सैन्य अभियानों के प्रमुख,
- वायु और थल सेना के सभी कमानों के प्रमुख,
- रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक,
- RBI Governor,
- रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य,
- केन्द्र सरकार में संयुक्त सचिव से ऊपर का पद,

2. आवास पर CC :-

Result Mitra

- यह सामान्य नागरिकों के आवासों से संबंधित मुद्दे पर विचार नहीं करती है, बल्कि यह सरकारी आवास के आवंटन के संबंध में नियम या दिशा-निर्देश जारी करती है।
- यह सांसदों के आवास आवंटन पर विचार करता है।
- यह CC मौजूदा सरकार के कार्यालयों को राजधानी (नई दिल्ली) से बाहर के स्थानों पर स्थानांतरित करने के प्रस्तावों पर विचार कर सकती है।

3. आर्थिक मामले पर CC :-

- यह एकीकृत आर्थिक नीति विकसित करने एवं आर्थिक प्रवृत्तियों वाली सभी गतिविधियों को समन्वित करने का प्रयास करती है।
- यह औद्योगिक लाइसेंसिंग नीतियों से निपटती है तथा ग्रामीण विकास एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी समीक्षा करती है।

Note :- यह CC सिर्फ 1000 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर विचार करती है।

4. संसदीय मामलों पर CC :-

- यह संसद सत्रों (Sessions) का आयोजन कार्यक्रम बनाती है तथा संसद में सरकारी कामकाज (मंत्रियों से संबंधित) की प्रगति की निगरानी करती है।
- इसके अलावा यह गैर-सरकारी कामकाज (गैर-मंत्रियों से संबंधित) कार्यों की जाँच करती है और यह भी निर्धारित करती है कि कौन-से विधेयक एवं प्रस्ताव पेश किये जाएंगे।

5. राजनीतिक मामलों पर CC :-

- यह मुख्यतः केन्द्र-राज्य संबंधों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विचार करती है।

Result Mitra

- यह वैसे आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों की भी जाँच करती है, जिसमें कोई आंतरिक अथवा बाहरी सुरक्षा निहित नहीं होता है।

6. निवेश पर CC :-

- निवेश पर गठित CC का उद्देश्य समयबद्ध आधार पर क्रियान्वित किये जाने वाले मुख्य परियोजनाओं की पहचान करना है।
- यह CC 1000 करोड रूपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की जाँच करती है लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में इससे कम निवेश वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये भी कार्य करती है।
- यह CC परियोजना की संबंधित मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद परियोजना-पूर्ण होने की समय-सीमा निर्धारित करती है।

  Note :- राजनीतिक मामलों पर CC को 'सुपर कैबिनेट' कहा जाता है, जो सभी कैबिनेट समितियों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है।
- इस समिति में प्रधानमंत्री के अलावा वरिष्ठ मंत्री जैसे गृह, रक्षा, विदेश, वित्त मंत्री आदि शामिल होते है।

➢ मंत्रियों के समूह :

- कैबिनेट समितियों के अलावा विभिन्न विषयों की देख-रेख एवं प्रबंधन के लिये कुछ मंत्री-समूहों (Group of Ministers यानि GOM) का गठन किया जाता है।
- कुछ GOM को मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने का अधिकार होता है, जबकि कुछ GOM को अपनी सिफारिशें मंत्रिमंडल को भेजनी होती है।
- ये समूह पद्धति में अस्थायी होती है।

➢ EGOM :

- EGOM यानि शक्ति-संपन्न मंत्री समूह का गठन कैबिनेट, कैबिनेट समिति या प्रधानमंत्री द्वारा विशिष्ट मामलों की जाँच करने के लिये किया जाता है।

Result Mitra

- कुछ मामलों में ऐसे समूह को निर्णय लेने का भी अधिकार होता है।

Result Mitra